

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 21, शक 1945

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2023

क्र. एफ 1-45/2013/स्था./19, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन निःशक्तजन व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु पदों के चिन्हांकन के लिये समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-1 के लोक निर्माण विभाग की स्थापना में अनुसूची-2 में विहित विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करती है:-

अनुसूची एक

1. लोक निर्माण विभाग

- 1.1 प्रमुख अभियंता (भवन), लो.नि.वि., भोपाल।
- 1.2 प्रबंध संचालक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल।
- 1.3 प्रबंध संचालक, म.प्र. भवन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल।

Bhopal, the 12th December 2023

No. F-1-45/2013/E/19, In exercise of the powers conferred by Section 101 of the Rights of Person with Disabilities Act, 2016 (No. 49 of 2016), for the identification of the posts for the disabled persons under the provisions of Rules-17 of the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disability Rules, 2017, committee for identification of posts, hereby, identifies the posts reserved for the Disabled Persons as per the specifications prescribed in Schedule 2 in the establishment of Public Works Department of Schedule 1:-

Schedule One

1. Public Works Department

- 1.1 Engineer-in-Chief (Building) MPPWD, Bhopal
- 1.2 Managing Director, MP Road Development Corporation Ltd., Bhopal
- 1.3 Managing Director, MP Building Development Corporation Ltd., Bhopal

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नियाज अहमद खान, उपसचिव.

